कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प.(14) एफ.सी.ए./उवसं/2019/ 4476-79 दिनांक :– 13/7/19

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :–राष्ट्रीय राजमार्ग 927–ए के विस्तारीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अंतर्गत जिला बांसवाड़ा में ग्राम वजवाना से बांसवाड़ा के बीच में प्रभावित हो रही 4.99 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

संदर्भ :–अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी ई.डी.एस. दिनांक 08.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी ई.डी.एस. दिनांक 08.07.2019 के द्वारा यूजर ऐजेन्सी से संबंधित वांछित सूचनाएं/पालना रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि.,रा.रा.मार्ग, खण्ड–बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 280, दिनांक 12.07.2019 (छाया–प्रति संलग्न) के द्वारा बिंदुवार तैयार कर ऑनलाइन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी 4 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है, तद्नुसार बिंदुवार पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. बिंदु संख्या–1 के निर्देशानुसार प्रस्ताव में संलग्न किए गए पुराने लैंड शेड्यूल को यूजर ऐजेन्सी के द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रस्ताव में से हटा लिया गया है।
2. बिंदु संख्या–2 की पालना में ग्राम पाटन तहसील बागीदौरा के खसरा नंबर 832 एवं 832/3003 में आरक्षित की गई 4.99 हेक्टेयर गैर वनभूमि का राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, वन विभाग के प्रतिनिधियों एवं यूजर ऐजेन्सी के प्रतिनिधि सहायक अभियंता की मौजूदगी में दिनांक 12.07.2019 को विधिवत रूप से संयुक्त मौका निरीक्षण करवा कर निशानदेही/सीमांकन करवाया गया है, जिसका मौका पर्चा क्षेत्रीय वन अधिकारी, गढ़ी के पत्र दिनांक 12 जुलाई 2019 (छाया–प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। तद्नुसार आरक्षित की गई उक्त भूमि पर पूर्व से ही वन विभाग का कब्जा होने के कारण वन सीमाओं के डिजिटाइजेशन कार्य के दौरान उक्त आरक्षित की गई भूमि को वन क्षेत्र के अंदर ले लिया जाने से यह गैर वनभूमि वन विभाग के डिजिटल मानचित्र में वन क्षेत्र के अंदर होना प्रतीत हो रही है। वास्तव में उक्त आरक्षित की गई भूमि सिवायचक गैर वनभूमि ही है। अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई 4.99 हेक्टेयर गैर वनभूमि बाबत यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए नक्शों में कोई भी संशोधन किया जाना आवश्यक नहीं होने से संशोधित नक्शे प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
3. बिंदु संख्या–3 के क्रम में यूजर ऐजेन्सी के द्वारा इस कार्यालय को पुनः अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वनभूमि में प्रभावित हो रहे सभी 262 वृक्षों का पातन करवाया जाना यथावत आवश्यक/प्रस्तावित है।
4. बिंदु संख्या–4 की पालना में निवेदन है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई रक्षित वनभूमि में पूर्व से विद्यमान सड़क वर्ष 1980 के पूर्व से ही निर्मित की हुई है एवं आवागमन हेतु मुख्य मार्ग के रूप में उपयोग में ली जा रही है। इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र तहसीलदार बांसवाड़ा एवं गढ़ी से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है, जो संलग्न प्रस्तुत है।
5. बिंदु संख्या–5 की पालना में निवेदन है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई कुल 4.99 हेक्टेयर रक्षित वनभूमि में से ग्राम वार एवं खसरा वार आवश्यक/प्रभावित होने वाली वनभूमि का विवरण तैयार करवा कर संलग्न प्रस्तुत है तद्नुसार वनखंड वजवाना में 2.7364 हैक्टेयर एवं वनखंड फाटीखान घाटीवाला पार्ट–डी में 2.2536 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार हार्ड कॉपी 4 प्रतियों में

भवदीय,

(सुगनाराम जाट)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प.(14) एफ.सी.ए./उवसं/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि.,रा.रा.मार्ग, खण्ड–बांसवाड़ा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, गढ़ी।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा